

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 377 सन 2022

अनवान :-

1. महावीर पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. विकास कुमार पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
2. रोहिताश पुत्र बलवंत जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर।
3. संदीप पुत्र बलवंत जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
4. सावित्री पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
5. सुरेश कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
6. सुरेन्द्र पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
7. प्रहलाद पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
8. राजेराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
9. महेन्द्र सिंह पुत्र निराण जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
10. बलवंत पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
11. उर्मिला पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
12. राधा पत्नी हरदयाल जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
13. कमला पुत्री बलवंत जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 20/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 केएनएन की खाता संख्या 74/77 की कुल 0.6330हैक्, तथा खाता संख्या 87/87 की कुल 5.3130हैक् व खाता संख्या 98/98 की कुल 8.8550हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 व अन्य काश्तकारो के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा एवं सिचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एव प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सूचना तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1

ता 13 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने काश्त की सुविधा एवं सिचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है जिसके अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का एतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 14 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई एतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 केएनएन की खाता संख्या 74/77 की कुल 0.6330हैक्, तथा खाता संख्या 87/87 की कुल 5.3130हैक् व खाता संख्या 98/98 की कुल 8.8550हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 व अन्य काश्तकारो के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने काश्त की सुविधा एवं सिचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई एतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 केएनएन की खाता संख्या 74/77 की कुल 0.6330हैक्, तथा खाता संख्या 87/87 की कुल 5.3130हैक् व खाता संख्या 98/98 की कुल 8.8550हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 व अन्य काश्तकारो के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने काश्त की सुविधा एवं सिचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज करवाने के अधिकारी है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित करने के कारण काबिल डिक्री है।

22
सखारड
अधिकारी

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 16 केएनएन के खाता संख्या 74/77 व 87/87 के प0 नं0 302/378 (45) के किला नं. 1/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.228 है0 व 10, 11, 20 की 0.759 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे व प0 नं0 301/378 (44) के किला नं. 3/2 की 0.031 है0, 4 की 0.253 है0, 5/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला 5/2 की 0.228 है0, 6/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 6/2 की 0.228 है0, 7 की 0.253 है0, 8/2 की 0.031 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व प0 नं0 301/378 (44) के किला नं 11/4 की 0.139 है0 व 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 12 की 0.252 है0 व 0.001 है0 गै0 मु0 किला नं. 3/2 की 0.031 है0, 4 की 0.253 है0, 5/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला 5/2 की 0.228 है0, 6/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 6/2 की 0.228 है0, 7 की 0.253 है0, 8/2 की 0.031 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व प0 नं0 301/378 (44) के किला नं 11/4 की 0.139 है0 व 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 12 की 0.252 है0 व 0.001 है0 गै0 मु0 रास्ता, 13 ता 14 की 0.506 है0, 15/1 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 15/2 की 0.228 है0, 16/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 16/2/2 की 0.051 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा प0 नं0 301/378 (44) के किला नं. 10/2/2 की 0.057 है0, 11/1 की 0.013 है0, 16/2/1 की 0.177 है0, 17 की 0.253 है0, 18 की 0.252 है0 व 0.001 है0 गै0 मु0 रास्ता, 19/1 की 0.202 है0 व 0.007 है0 गै0 मु0 रास्ता भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 301/378 (44) के किला नं. 11/2 की 0.076 है0, 19/2 की 0.44 है0, 23 व 24 की 0.506 है0, 25/1 की 0.26 है0 गै0 मु0 खाला, 25/2 की 0.227 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 301/378 (44) के किला नं. 3/1 की 0.222 है0, 8/1 की 0.222 है0, 9/2 की 0.190 है0, 10/2/1 की 0.133 है0, 11/3 की 0.012 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा 16 केएनएन के खाता संख्या 98 की 0.506 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज की जावे व 0.4434 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 17 केएनएन के खाता संख्या 76 के प0 नं0 398/378 (16) के किला नं. 1/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.215 है0, 2/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/2 की 0.215 है0, 3/1/1 की 0.019 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/2/1 की 0.108 है0, 8/1 की 0.126 है0, 9 व 10 की 0.506 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 298/378 (16) के किला नं. 3/1/2 की 0.019 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/2/2 की 0.107 है0, 4/1/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/2/1 की 0.144 है0, 7/1 की 0.170 है. 8/2 की 0.127 है0 प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 298/378 (16) के किला नं. 4/1/2 की 0.012 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/2/2 की 0.071 है0, 5/1 की 0.063 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.190 है0, 6/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 की 0.228 है0, 7/2 की 0.083 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022
कैम्प कोर्ट.....

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. महावीर पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर।

वादी

बनाम

2. विकास कुमार पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
3. रोहिताश पुत्र बलवंत जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर।
4. संदीप पुत्र बलवंत जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
5. सावित्री पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
6. सुरेश कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
7. सुरेन्द्र पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
8. प्रहलाद पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
9. राजेराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
10. महेन्द्र सिंह पुत्र निराण जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
11. बलवंत पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
12. उर्मिला पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
13. राधा पत्नी हरदयाल जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
14. कमला पुत्री बलवंत जाति जाट निवासी 16-17 केएनएन तहसील नोहर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 377 सन 2022 निर्णय दिनांक- 20/05/2022


आज यह वाद प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022 में मुझ श्वेता

कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 16 केएनएन के खाता संख्या 74/77 व 87/87 के प0 नं0 302/378 (45) के किला नं. 1/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.228 है0 व 10, 11, 20 की 0.759 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे व प0 नं0 301/378 (44) के किला नं. 3/2 की 0.031 है0, 4 की 0.253 है0, 5/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला 5/2 की 0.228 है0, 6/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 6/2 की 0.228 है0, 7 की 0.253 है0, 8/2 की 0.031 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व प0 नं0 301/378 (44) के किला नं 11/4 की 0.139 है0 व 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 12 की 0.252 है0 व 0.001 है0 गै0 मु0 किला नं. 3/2 की 0.031 है0, 4 की 0.253 है0, 5/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला 5/2 की 0.228 है0, 6/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 6/2 की 0.228 है0, 7 की 0.253 है0, 8/2 की 0.031 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व प0 नं0 301/378 (44) के किला नं 11/4 की 0.139 है0 व 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 12 की 0.252 है0 व 0.001 है0 गै0 मु0 रास्ता, 13 ता 14 की 0.506 है0, 15/1 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 15/2 की 0.228 है0, 16/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 16/2/2 की 0.051 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा प0 नं0 301/378 (44) के किला नं. 10/2/2 की 0.057 है0, 11/1 की 0.013 है0, 16/2/1 की 0.177 है0,


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

17 की 0.253 है0, 18 की 0.252 है0 व 0.001 है0 गै0 मु0 रास्ता, 19/1 की 0.202 है0 व 0.007 है0 गै0 मु0 रास्ता भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 301/378 (44) के किला नं. 11/2 की 0.076 है0, 19/2 की 0.44 है0, 23 व 24 की 0.506 है0, 25/1 की 0.26 है0 गै0 मु0 खाला, 25/2 की 0.227 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 301/378 (44) के किला नं. 3/1 की 0.222 है0, 8/1 की 0.222 है0, 9/2 की 0.190 है0, 10/2/1 की 0.133 है0, 11/3 की 0.012 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा 16 केएनएन के खाता संख्या 98 की 0.506 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज की जावे व 0.4434 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 17 केएनएन के खाता संख्या 76 के प0 नं0 398/378 (16) के किला नं. 1/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.215 है0, 2/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/2 की 0.215 है0, 3/1/1 की 0.019 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/2/1 की 0.108 है0, 8/1 की 0.126 है0, 9 व 10 की 0.506 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 298/378 (16) के किला नं. 3/1/2 की 0.019 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/2/2 की 0.107 है0, 4/1/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/2/1 की 0.144 है0, 7/1 की 0.170 है. 8/2 की 0.127 है0 प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 298/378 (16) के किला नं. 4/1/2 की 0.012 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/2/2 की 0.071 है0, 5/1 की 0.063 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.190 है0, 6/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 की 0.228 है0, 7/2 की 0.083 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/5/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022
कैम्प कोर्ट. ~~प्रशासन~~

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)